राजस्थान–सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, कोटा
खनिज भवन, टैगोर नगर, प्लॉट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़, कोटा
E mail - me.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/कोटा/अवैध खनन/2021/234 दिनांकः–02/09/2021

–: नीलामी विज्ञप्ति :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोटा जिले में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 14.09.2021 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा (खनिज भवन, प्लॉट नम्बर 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड़, कोटा) के कमरा नम्बर 115 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 114 में खोली जायेगी। जिस किसी को इस नीलामी में भाग लेना है, निविदा फार्म कार्यालय में राशि रू0 100/– जमा करा प्राप्त कर नियत तिथि को निम्न विवरण अनुसार बयाना राशि जरिए डीडी/बैंकर्स चैक सहित निविदा प्रस्तुत कर सकते है।

क्र.सं.	स्थान का विवरण (जहाँ जब्तशुदा बजरी पड़ी है)	जब्तशुदा बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रू0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (रू0 में)
1.	पुलिस चौकी बड़गांव परिसर में, पुलिस थाना कुन्हाडी, जिला कोटा	1122 टन	72930	729300
2.	पुलिस थाना महावीर नगर, जिला कोटा	68 टन	4420	44200
3.	पुलिस थाना उद्योग नगर, जिला कोटा	135 टन	8775	87750
4.	पुलिस थाना आर0के0 पुरम्	144 टन	9360	93600
5.	पुलिस थाना अयाना, जिला कोटा	360 टन	23400	234000
6.	पुलिस थाना भीमगंजमण्डी जिला कोटा, स्थान उम्मेद सिंह स्टेडियम	45 टन	2925	29250
7.	पुलिस थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा	90 टन	5850	58500
8.	पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी, जिला कोटा	160 टन	10400	104000
9.	पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा	95 टन (काली बजरी)	4275	42750
10.	ग्राम खेड़ली, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा	805 टन	52325	523250

नोटः– खनिज बजरी नीलामी की शर्ते विभागीय कार्यालयों (खनि अभियन्ता, कोटा/रामगंजमण्डी) एवं विभागीय वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता,
कोटा/रामगंजमण्डी

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगी:–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षैत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 115 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 14.09.2021 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू0 प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 114 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 15 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगें एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र कोटा होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा/रामगंजमण्डी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
15. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता,
कोटा/रामगंजमण्डी

क्रमांकः— खअ/कोटा/अवैध खनन/2021/235-255 दिनांकः—02/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा—जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा—वृत्त, कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), कोटा—वृत्त, कोटा।
8. खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी।
9. थाना अधिकारी पुलिस थाना कुन्हाड़ी/महावीर नगर/उद्योग नगर/आर.के.पुरम/अयाना/भीमगंजमण्डी/बोरखेड़ा/रेल्वे कॉलोनी/रामगंजमण्डी।
10. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
11. तकनीकी स्टाफ कोटा/रामगंजमण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

खनि अभियन्ता,
कोटा/रामगंजमण्डी